न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक), श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या :– 50/2019 जीसीएमएस नं0 2019/046 निर्णय दिनांक 02.11.2022

उनवान प्रकरण

छाजूराम पुत्र मालीराम जाति गूर्जर निवासी नई ढ़ाणी तन् ग्राम देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर

वादी/अप्रार्थी

बनाम्

1. गिरधारी लाल पुत्र मालीराम जाति सुनार निवासी हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 वगैरह

––प्रतिवादी/प्रार्थी

उपस्थितः–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादी/अप्रार्थी अभिभाषक।

श्री रक्षपाल स्वामी, एड0 आवेदककर्त्ता प्रा.पत्र पेशकर्त्ता आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 श्री गिरधारी लाल पुत्र मालीराम जाति सुनार निवासी हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 22/10/2020 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी का पेश किया गया था। जिसका जवाब दरख्वास्त वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 08.09.2021 को प्रस्तुत किया गया था। इसके उपरान्त प्रकरण में बहस दरख्वास्त धारा 11 सीपीसी पर वकलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:51 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
02/11
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अवगत कराया है कि कृषि भूमि ख0 न0 286 रकबा 0.2700 हैक्टर बाबत पूर्व से दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 29/19 एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 16/19 उनवानी गिरधारीलाल बनाम् कमली वगैरह प्रस्तुत होकर विचाराधीन चल रहे थे। इसके बावजूद यह झूंठा दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यहां यह भी महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय में पूर्व में विचाराधीन वाद पत्र संख्या–29/19 उनवानी गिरधारीलाल बनाम् कमली वगैरह में न्यायालय ने विधिवत सुनवाई फरमायी जाकर विधिवत रूप से विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 30–9–19 को पारित फरमाया जा चुकी है एवं भूमि ख0 न0 286 रकबा 0.2700 हैक्टर का खातेदारान काश्तकारान को तहसीलदार(भू–अभिलेख) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1735/भू.अ./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने बाबत निर्णय व डिक्री पारित फरमायी जाकर इजराय आदेश क्रमांक 412/19 दिनांक 25.10.2019 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जारी किया जा चुका है इसलिए वादी–प्रार्थी का उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 11 सीपीसी के तहत चलने योग्य नही होकर उक्त उनवानी दावा व प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वही वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में अवगत कराया कि प्रार्थी/वादी को मुकदमा नम्बर 29/19 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 16/19 उनवानी गिरधारीलाल बनाम् कमली वगैरह के सम्मन व नोटिस नही मिले हैं। अप्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 1 ने तामिल कुनिन्दा से साजकर प्रार्थी/वादी की गलत तामिल रिपोर्ट करवाकर वादी/प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय डिक्री पारित करवा ली। जिसकी जानकारी प्रार्थी/वादी को कभी नही थी। प्रार्थी/वादी को जैसे ही उक्त डिक्री की जानकारी होते ही माननीय न्यायालय आर.ए.ए. (सीकर) में प्रस्तुत कर दी गई है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय डिक्री दिनांक 30.09.2019 की क्रियान्विति स्थगित की जा चुकी है व अपील विचाराधीन चल रही है। उक्त मुकदमा नम्बर 29/19 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 16/19 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:51 IST
Reason: SelfAttested

02/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने स्वयं के हिस्से की भूमि को अन्य खातेदारान से अलग करवाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा गलत तामिल रिपोर्ट करवाई गई थी तथा उक्त दावा/टी.आई. में वादी/अप्रार्थी की जमीन में अलग से नम्बर नही पड़े है तथा अप्रार्थी/वादी उक्त भूमि में सहखातेदार हैं। जिसे अप्रार्थी/वादी बंटवारे का हकदार हैं। जिससे उक्त प्रकरण में धारा 11 सी.पी.सी. का नियम लागू नही होता है। उक्त डिक्री दिनांक 30.09.2019 की अपील पेश की जा चुकी हैं तथा अपील पेश हो जाने व अपील में डिक्री दिनांक 30.09.2019 की कियान्वति स्थगित हो जाने से उक्त मामले में धारा 11 सी.पी.सी लागू नही होती हैं। वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी में मुख्य रूप से वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.2700 हैक्टर के सम्बन्ध में इसी न्यायालय में पूर्व से मु.नं. 29/2019 दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा एंव मु. नं. 16/2019 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी गिरधारी लाल बनाम कमली वगै0 के विचाराधीन होने तथा मूल वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाया जाकर डिक्री पारित की जा चुकी है। जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहॉ उनवानी छाजूराम बनाम गिरधारी वगै0 मुकदमा नं. 22/2020 से विचाराधीन होना प्रकट होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:51:51 IST
Reason: SelfAttested

सिविल प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 11– पूर्व न्याय :–में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के, या ऐसी पक्षकारों के बीच के, जिनसे

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।

जहाँ तक प्रस्तुत प्रकरण का प्रश्नगत मामला है। इस प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् 286 रकबा 0.27 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर के सम्बन्ध में इन्ही पक्षकारान् के मध्य इन्हीं भूमियों को लेकर पूर्व में वाद उनवानी गिरधारी लाल बनाम कमली देवी वगै0 विचाराधीन होकर उनमें बाद सुनवाई दिनांक 30.09.2019 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 1735/भू.अ./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित होता है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये अन्तिम निर्णय/आदेश के विरूद्ध वर्तमान में अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहाँ उनवानी छाजूराम बनाम गिरधारी वगै0 मुकदमा नं. 22/2020 से विचाराधीन होना प्रकट होता है। जिसमें वादी उक्त न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपीलार्थी वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:51 IST
Reason: SelfAttested

02/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

::–कियात्मक आदेश–::

अतः वकील प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र मुकदमा संख्या 50/2019 एंव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 26/2019 उनवानी प्रकरण छाजूराम बनाम गिरधारी लाल वगै0 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली में शामिल की जावें।

2/11/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/11/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:51 IST
Reason: SelfAttested